

कार्यालय नगर परिषद नईगढ़ी जिला मऊगंज (म0प्र0)

Email ID-cmonahigari@mpurban.gov.in

क्र0/244 / न.परि./राजस्व/2026

नईगढ़ी दिनांक 18/3/2026

::-तृतीय दुकान नीलामी सूचना-::

एतद् द्वारा नगर परिषद नईगढ़ी वार्ड क्र0 05 में उत्कृष्ट विद्यालय के पास निर्मित 08 दुकानों के लिये म0प्र0 नगर पालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम 2016 के नियमों एवं नगर परिषद नईगढ़ी द्वारा निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत प्रीमियम एवं किराये पर दिये जाने हेतु प्रीमियम राशि के लिये दरे आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित अमानत राशि जमा कर अपनी दरे ऑनलाईन दिनांक समय 10:30 बजे से दिनांक शाम 05:30 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं, प्राप्त निविदाओं की स्वीकृति एवं अस्वीकृति का अधिकार निकाय के पास सुरक्षित होगा, वाद -विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र न्यायालय मऊगंज होगा।

शर्तें एवं अन्य जानकारियों के लिये कार्यालयीन समय में शाखा प्रभारी से एवं कार्यालयीन सूचना पटल पर देखी एवं पढ़ी जा सकती है। निविदा से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	आरक्षण का प्रकार	महिला/पुरुष	दुकान का क्रमांक	दुकान की साइज (फुट में)	निविदा प्रपत्र फीस	दुकान की प्रीमियम	दुकान की अमानत राशि
01	पिछड़ा	पुरुष	01	10x18=180 वर्गफुट	2000.00	494460.00	22770.00
02	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	03	10x18=180 वर्गफुट	2000.00	494460.00	22770.00
03	अनु.जन जाति	पुरुष	4	10x18=180 वर्गफुट	2000.00	494460.00	22770.00
04	अनु.जन जाति	पुरुष	11	10x18=180 वर्गफुट	2000.00	494460.00	22770.00
05	अनु.जन जाति	महिला	20	10x18=180 वर्गफुट	2000.00	494460.00	22770.00
06	पिछड़ा	पुरुष	28	11x20=220 वर्गफुट	2000.00	556600.00	27770.00
07	अनारक्षित	अनारक्षित	34	11x20=220 वर्गफुट	2000.00	556600.00	27770.00
08	अनारक्षित	महिला	36	10x14=140 वर्गफुट	2000.00	494460.00	22770.00

निविदा की शर्तें :-

1. निविदा में किसी प्रकार का संशोधन केवल ऑनलाईन ही किया जावेगा।
2. अन्य शेष शर्तें संलग्न हैं।

मुख्य मुख्य अधिकारी
नगर परिषद नईगढ़ी
जिला मऊगंज (म0प्र0)
नईगढ़ी दिनांक 18/3/2026

पू0 क्र0/244 / न.परि./राजस्व/2026
प्रतिलिपि:- "सादर सूचनार्थ प्रेषित"

1. श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला रीवा/मऊगंज (म0प्र0)।
2. अध्यक्ष नगर परिषद नईगढ़ी जिला मऊगंज (म0प्र0)।
3. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा सभाग रीवा (म0प्र0)।
4. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण जिला रीवा (म0प्र0)।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील मऊगंज/नईगढ़ी की ओर सूचनार्थ प्रेषित के सूचना पटल में चस्पा बावत।
6. सम्पादक दैनिक पब्लिक वाणी, स्टार समाचार रीवा की ओर प्रेषित कर लेख है, कि उपरोक्त विज्ञापन को रू0 की सीमा के अन्दर एक दिवस आगामी अंक में प्रकाशित करने बावत।
7. स्टार समाचार रीवा की ओर प्रेषित कर लेख है, कि उपरोक्त विज्ञापन को रू0 की सीमा के अन्दर एक दिवस आगामी अंक में प्रकाशित करने बावत।
8. नगर परिषद नईगढ़ी जिला मऊगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

मुख्य मुख्य अधिकारी
नगर परिषद नईगढ़ी
जिला मऊगंज (म0प्र0)

कार्यालय नगर परिषद नईगढ़ी जिला मऊगंज (म0प्र0)

क्र./1516 /न.परि./2024

नईगढ़ी दिनांक 23-09-2024

निविदा शर्तें

- 1 :- बार्ड क्र. 05 में नईगढ़ी देवतालाब रोड क उत्तर साईड शासकीय भूमि पर नगर पालिका स्वामित्व की दुकानो को राइट ऑफ अक्यूपेशन एण्ड री-इन्ट्री योजना अन्तर्गत अंतरण हेतु प्रीमियम तथा भू - भाटक/किराया पर म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961 (अंचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम 2016 संशोधित नियम 2021 तथा संशोधित नियम 2023 के तहत ई निविदाएं आमंत्रित की जाती है। अंचल सम्पत्ति का अंतरण नियम के तहत प्रीमियम एवं मासिक किराये पर 30 (तीस) वर्ष के लिये दिये जाने हेतु ऑन लाइन निविदा आमंत्रित कर आबंटित की जावेगी।
- 2 :- दुकानो का वार्षिक भाड़ा (किराया दर) निविदा प्रीमियम मूल्य का 0.50% होगा।
- 3 :- वर्ग विशेष के लिए आराक्षित दुकानो की निविदा प्रक्रिया में केवल उसी वर्ग का व्यक्ति भाग ले सकेगा, जिस वर्ग के लिए दुकान आराक्षित है।
- 4 :- निविदा में भाग लेने वाले व्यक्तियो मे से अधिकतम प्रथम निविदाकार एवं द्वितीय निविदाकार को छोड़कर शेष व्यक्तियो की अमानत राशि निविदा खुलने के 90 दिवस के अन्दर वापस की जायेगी तथा प्रथम निविदाकार की सम्पूर्ण प्रीमियम की राशि जमा होने के पश्चात ही द्वितीय निविदाकार को अमानत राशि वापस की जावेगी। जिसे दुकान प्राप्त होगी, उसकी अमानत राशि प्रीमियम राशि में समायोजित की जावेगी।
- 5 :- परिषद द्वारा दुकानो की निविदा अभिस्वीकृत के निर्णय के आधार पर कार्यालय द्वारा जारी सूचना में विहित समयावधि के अन्दर निविदा की शेष राशि जमाकर अनुबंध का निष्पदान अनिवार्य होगा। तदुपरान्त संबंधी को दुकान का आवंटन सौपा जावेगा व दुकान की किरायेदारी सूचना में विहित दिनांक से मानी जावेगी। 30 वर्ष पर अंचल सम्पत्तिओ का निविदा में प्राप्त प्रीमियम के मूल का प्रथम 10 वर्ष हेतु 0.50 प्रतिशत तत्पश्चात 20 वर्ष के लिये 2 प्रतिशत देय रहेगा।
- 6 :- प्रथम निविदाकार द्वारा प्रीमियम राशि स्वीकृत होने के 21 दिवस के अन्दर 25 प्रतिशत जमा करना होगा शेष राशि नियम 2016 के संशोधित नियम 07 के अनुसार जमा करनी होगी। निविदा से संबंधित जानकारी एवं शर्तें पृथक से राजस्व शाखा नईगढ़ी से कार्यालयीन समय पर देखी व प्राप्त की जा सकेगी। एवं 120 दिन के अन्दर सम्पूर्ण निविदा प्रीमियम की राशि जमा करना अनिवार्य होगा। राशि जमा न होने पर जमा धरोहर राशि राजसात मानी जावेगी एवं द्वितीय बोलीदार को मौका दिया जावेगा। परन्तु प्रथम बोलीदार की प्रीमियम राशि में अमानत राशि से ज्यादा का अंतर न हो।
- 7 :- निविदा में भाग लेने वाले जिन व्यक्तियो के द्वारा पूर्व में कभी भी नगर परिषद नईगढ़ी द्वारा किसी भी प्रकृति की निविदा में भाग लेने के लिये निर्धारित शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। ऐसे व्यक्तियो को निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
- 8 :- किरायेदार को स्वयं व्यय से विद्युत, नल संयोजन कराना होगा तथा इसके उपयोग में आने वाले व्यय का भार किरायेदार को स्वयं वहन करना होगा। किन्तु दुकान में विद्युत एवं नल संयोजन किरायादार के नाम से होने पर उसे दुकान के संबंध में किसी स्वत्व का हक नहीं होगा।

—112


- 9 :- आवृत्ति को महीने की 08 तारीख तक किराये जमा न करने पर उसे ~~किराया~~ किराया देय होगा।
- 10 :- मासिक किराया की राशि 03 माह तक जमा ना होने पर नगर परिषद किरायादायी स्वामित्व का हक समाप्त कर सकेगी।
- पट्टे की शर्त के उल्लंघन के कारण समाप्त हो चुके पुनः प्रवेश/स्वामित्व के बाद स्वामित्व का अधिकार रु० 5000.00 अर्थात्पुत्र अदा कर नवीनी हक प्राप्त किया जा सकेगा।
- 11 :- किरायेदार बिना नगर पालिका अनुमति प्राप्त किये दुकान की स्थिति संरचना में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं करेगा। एवं दुकान सामने पृथक से चबूतरा आदि का निर्माण नहीं करेगा। यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो किरायेदारी समाप्त करने की कार्यवाही नगर परिषद द्वारा की जावेगी।
- 12 :- परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार बनाये गये नियमों में संशोधन परिवर्तन करने का अधिकार नगर परिषद नईगढ़ी को होगा। जिसका पालन दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
- 13 :- नवीन योजना प्रस्तावित होने की दशा में नगर परिषद नईगढ़ी 30 दिवस की सूचना देकर दुकान को खाली करा सकेगी। जिसके संबंध में किरायेदार को आपत्ति या क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार किरायेदार को नहीं होगा।
- 14 :- नगर परिषद दुकान के ऊपर प्रथम तल या अन्य तलों का निर्माण कर सकेगी। जिस पर दुकान किरायेदार किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं कर सकेगा।
- 15 :- दुकान को अधिपत्य में दिये जाने के उपरान्त किये जाने वाले व्यवसाय के कारण दुकान को होने वाली छति की भरपाई/गरम्मत के लिये संबंधी दुकानदार उत्तरदायी होगा।
- 16 :- नगर पालिका की दुकान में किसी भी प्रकार का अवैधानिक व्यापार नहीं किया जावेगा, और मादक द्रव्य जैसे वियर, देशी शराब, विदेशी शराब, गॉंजा, भांग प्रदूषण से संबंधित व्यापार एवं मांश, मछली, चिकन, अण्डा, की दुकान नहीं की जावेगी। अर्थात् सभी प्रकार की मादक, विस्फोटक, प्रदूषण, उत्तेजक संबंधित व्यवसाय करने या भण्डारण करने का अधिकार नहीं होगा। व्यवसाय हेतु नगर पालिका से अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
- 17 :- दुकान की निविदा तथा आवंटन को शासन द्वारा निरस्त अथवा स्थागित किया जाता है, तो किरायेदार को तत्संबंधी आदेश निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा तथा किरायेदार को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं होगा।
- 18 :- उपरोक्त दुकान का नवीनीकरण 30 वर्ष की अवधि के लिये किया जाय सकेगा। नवीनकरण प्रभार तत्समय प्रभावशील प्रभार के अनुसार देय होगा।
- 19 :- यदि दुकान (सम्पत्ति) को किसी प्राकृतिक आपदा या दंगा ग्रस्त भीड़ या अन्य किसी दुर्घटना से जो मानव नियंत्रण के परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है, तो इसकी हुई क्षति को किरायेदार/पट्टेधारी को ही वहन करना होगा इसके लिये नगर परिषद किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।


- 20 :- दुकान (सम्पत्ति) का रखरखाव एवं आवश्यक गरम्गत किरायेदार/पट्टेधारी द्वारा किया जावेगा।
- 21 :- किरायेदार किसी ऐसी गतिविधि का क्रियान्वयन नहीं करेगा, जो विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है और आपपास के रहवासियो अथवा आमजन की शान्ति तथा सुरक्षा को प्रभावित करती हो।
- 22 :- किरायेदार अतिरिक्त अतिक्रमण अथवा अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।
- 23 :- मु.न.पा.अधिकारी लोकहित में दुकान में सुधार करवायेगा अथवा किरायेदार को दुकान में सुधार करने के लिये निर्देश दे सकेगा।
- 24 :- केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा आरोपित कर/शुल्क/अन्य प्रभारो का भुगतान किरायेदार द्वारा किया जायेगा।
- 25 :- सम्पत्ति (दुकान) का विधि पूर्ण अंतरण हो जाने पर दुकान का नामांतरण किया जा सकेगा। नामांतरण प्रभारो की परिगणना प्रीमियम/शासकीय मूल्य जो अधिक हो का 2 प्रतिशत की दर से की जावेगी, किन्तु नामांतरण शुल्क 5000.00 से कम नहीं होगा। नामांतरण के उपरान्त नवीन आबंटिती तथा नगरीय निकाय के मध्य पुनः पूर्व शर्तो का उल्लेख करते हुए बकाया अवधि के लिए संबंधित अनुबंध करवाया जावेगा। जिसके पंजीकरण आदि में होने वाला समस्त व्यय नवीन आबंटिती द्वारा वहन किया जावेगा। नामांतरण के उपरान्त पूर्व आबंटिती के साथ किया गया अनुबंध निरस्त समझा जायेगा। आरक्षित प्रवर्ग की दुकानो का उसी संवर्ग में नामांतरण किया जा सकेगा।
- 26 :- अनुबंध का पंजीयन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अनुसार किया जावेगा। अनुबंध के संबंध में देय स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण के प्रभार इत्यादि किरायेदार द्वारा वहन किये जायेगें। परिषद/मु.न. पा. अधिकारी का आदेश अंतिम व मान्य होगा।
- 27 :- उच्चतम निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि निविदा प्रस्तुत करने के दिनोंक से 21 दिवस में जमा की जायेगी। और शेष राशि निविदाकार की अंतिम स्वीकृति के संबंध में लिखित सूचना प्राप्त होने के दिनोंक से 120 (एक सौ बीस) दिवस के अन्दर जमा की जावेगी। यदि बोलीकर्ता द्वारा विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि या संसूचित अवधि के अन्दर शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो मु.न.पा.अधिकारी "विक्रय या पट्टे को अनुपयुक्त करा दिया गया है" घोषित कर सकेगा तथा जमा राशि को राजसात कर पुनः निविदा आमंत्रित कर सकेगा।
- 28 :- आरक्षित प्रवर्ग की दुकानो की निविदा नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियो को सगक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र निक्षेप राशि जमा करने के साथ ही जमा करना अनिवार्य होगा। बिना प्रमाण पत्र के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 29 :- मु.न.पा. अधिकारी लोकहित एवं नवीन योजना प्रस्तावति होने की दशा में दुकान का आबंटन निरस्त कर सकेगा। जिसके संबंध में आपत्ति या क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार किरायेदार को नहीं होगा।
- 30 :- निविदा स्वीकृति करने या न करने का अधिकार नगर परिषद नईगढ़ी को होगा। परिषद का निर्णय अंतिम होगा।


31 :- उपरोक्त सभी शर्तों का पालन किरायेदार को करना अनिवार्य होगा। यदि किन्हीं भी-शर्तों का उल्लंघन किरायेदार द्वारा किया जाता है, तो नगर पालिका परिषद नईगढ़ी को अधिकार होगा कि 30 दिवस की सूचना किरायेदार को देकर या संबंधित दुकान के सहज गोचर स्थान में चरपा कर दुकान की किरायेदारी समाप्त कर दुकान खाली करा सकेगा। तथा किराये की समस्त राशि एवं अन्य हर्जे एवं खर्चे के साथ नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अधीन वसूली कर सकेगी। तथा दुकान पुनः घोष/निविदा आमंत्रित कर विक्रय द्वारा किरायेदारी से दे सकेगी। जिस पर किरायेदास्त्रापत्ति नहीं कर सकेगा।

32 :- उपरोक्त सभी शर्तों का पालन किरायेदार को किया जाना अनिवार्य होगा।

म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961 (अंचल समपत्ति का अंतरण) नियम 2016, 2021, 2023 की निहित प्रावधानों का पालन किया जाना पूर्णरूपेण सुनिश्चित किया जावेगा।


राजेश प्रसादी
नगर परिषद नईगढ़ी
जिला मऊगंज (म0प्र0)


राजेश प्रसादी
नगर परिषद नईगढ़ी
जिला मऊगंज (म0प्र0)


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नईगढ़ी
जिला मऊगंज (म0प्र0)